



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, शुक्रवार जनवरी 11, 2019/पौष 21, 1940

No. 21]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 11, 2019/PAUSHA 21, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 21(अ).— मसाला श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 2018 जिसे केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लौंग श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1996; स्याह जीरा (करूम कार्वी एल) और काला जीरा (करूम बुल्बोकस्टानुम कोच) श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2000; और अजवायन बीज (साबुत और चूर्ण) श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1997 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त धारा की अपेक्षा अनुसार निम्नलिखित प्रारूप को प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप की प्रति जनता को दिनांक 29 जून, 2018 को उपलब्ध करा दी गई है।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से सभी आक्षेपों या सुझावों जो उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हो सकेंगे पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

उक्त अधिकार के अंतर्गत कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लौंग श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1996; स्याह जीरा (करूम कार्वी एल) और काला जीरा (करूम बुल्बोकस्टानुम कोच) श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2000; और अजवायन बीज (साबुत और चूर्ण) श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1997 उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से सभी आक्षेपों या सुझावों जो उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हो सकेंगे पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा तथा संशोधित मसाला श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन नियम, 2012, निम्नलिखित है:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मसाला श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 2018 है।

- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. मसाला श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2012 में नियम 1 के उप नियम 2 में खण्ड(ठ) के पश्चात निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-
- “(ड) लौंग
- (ढ) जीरा और काला जीरा
- (ण) अजवायन” ;
3. नियम 4 में “अनुसूची 2 से 32” शब्दों और अक्षरों के स्थान पर “अनुसूची 2 से 40” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।
4. नियम 5 में “अनुसूची 2 से 32” शब्दों और अक्षरों के स्थान पर अनुसूची 2 से 40” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;
5. अनुसूची 32 के पश्चात निम्नलिखित अनुसूची अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

अनुसूची-33

(नियम 4 देखें)

लौंग(साबुत) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी								
	विशेष अभिलक्षण(मात्रा के अनुसार प्रतिशत)								साधारण अभिलक्षण
	कार्बनिक बाह्य पदार्थ (अधिकतम)	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ (अधिकतम)	तंतु, मदर लौंग (अधिकतम)	खोकर लौंग (अधिकतम)	नमी (अधिकतम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल की मात्रा मि०ली/100 ग्राम (न्यूनतम)	निर्मुंड लौंग (अधिकतम)	कीट द्वारा क्षतिग्रस्त लौंग (अधिकतम)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
स्पेशल	0.50	0.05	1.0	1.0	9.0	18.0	1.0	शून्य	(1) साबुत लौंग से “साइजाइजियम एरोमेटिकम(एल.) मेरिलेट एल.एम पेरी साइन [यूजेनिया केरियो फाइलम (सी.स्प्रेजल)] बुल्लोक और हेरिसन नामक लौंग के वृक्ष की शुष्क अनखुले पुष्प की कलिकाएं अभिप्रेत हैं।
स्टैण्डर्ड	0.75	0.10	1.5	1.5	10.0	17.5	1.5	1.0	(2) इसमें-
जनरल	0.75	0.25	2.0	2.0	11.0	17.0	2.0	2.0	(क) यह लाल भूरे रंग से काले भूरे रंग की होगी; (ख) यह इसमें तीखी खुशबू, मसालेदार गंध और विशिष्ट स्वाद होगा; (ग) यह अरूचिकर गंध, बासीपन, दुर्गंध, फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीट विखंडनों, कीट प्रभाव और कृतक संदूषण से मुक्त होगी; (घ) यह योजित रंजक पदार्थ

								<p>और खनिज तेल के लेप और किसी अन्य हानिकारक पदार्थ से मुक्त होगी;</p> <p>(3) इसमें धात्विक संदूषकों के अवशेषी स्तरों, कीटनाशकों और नाशकजीव मारकों के अवशेषों, सूक्ष्मजीवों अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न विषाक्त पदार्थों से संबंधित निर्बंधनों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक(संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक(खाद्य उत्पाद और खाद्य मिश्रण) विनियम, 2011 तथा घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत शामिल अन्य विभिन्न विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।</p> <p>(4) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों की अवशेषी सीमाओं तथा कोडेक्स ऐलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा अधिकथित रूप में अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन होगा।</p> <p>(5) लौंग की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह निम्नलिखित के लिए समर्थ हो:-</p> <p>(क) परिवहन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सहन करने के लिए, तथा</p> <p>(ख) गंतव्य स्थान पर संतोषजनक स्थिति में पहुंचने के लिए।</p> <p>(6) इसे ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारित किया जाएगा, स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद दशा में रखा जाएगा।</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

स्पष्टीकरण:-

- (क) कार्बनिक बाह्य पदार्थ जिसमें भूसी, तने और तिनके सम्मिलित हैं, लौंग के अलावा लौंग के पौधों के सभी वनस्पति अंगों से तंतु, पुष्पावली वृंत, लौंग के तने, मदर लौंग और रेचित लौंग सम्मिलित हैं।

- (ख) अकार्बनिक बाह्य पदार्थ जिसमें धूलीकण, गर्द, पत्थर और मिट्टी के ढेले सम्मिलित हैं।
- (ग) निर्मुड लौंग : लौंग जिसमें केवल पुष्पधर और सेपल्स होते हैं और जिसमें गुब्द आकार का शीर्ष नहीं होता।
- (घ) खोकर लौंग : ऐसी लौंग जिसका पूरी तरह न सूखने के कारण किण्वन हो गया है जोकि उसके पीले भूरे रंग, श्वेत धब्बेदार शकल और अन्य झुर्रीदार सतह से परिलक्षित होता है।
- (ङ) मदर लौंग : अंडाकार भूरे रंग की बदरी के रूप में फल जो भीतर से चार मुडे हुए सेपल्स से आच्छादित होता है।
- (छ) कीटों से क्षतिग्रस्त लौंग : कीट द्वारा आंतरिक अथवा आंशिक रूप से छेदित अथवा क्षतिग्रस्त लौंग।

टिप्पण: वाष्पशील तेल का अवधारण पीसने के तत्काल बाद किया जाएगा।

अनुसूची-34

(नियम 4 देखें)

लौंग(चूर्ण) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी					साधारण अभिलक्षण
	विशेष अभिलक्षण(मात्रा के अनुसार प्रतिशत)					
	नमी (अधिकतम)	शुष्क आधार पर कुल राख (अधिकतम)	शुष्क आधार पर अम्ल अचुलनशील राख (अधिकतम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल की मात्रा मि० ली/100 ग्राम (न्यूनतम)	अपरिष्कृत (न्यूनतम)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्पेशल	8.0	6.0	0.3	17.0	11.0	(1) लौंग चूर्ण से 'साइजाइजियम एरोमेटिकम(एल) मेरिल एट एल.एम पेरी साइन [यूजेनिया केरियो फाइलस (सी.स्प्रेजल)] बुल्लोक और हेरिसन नामक लौंग के वृक्ष की शुष्क अनखुले पुष्प की कलिकाएं अभिप्रेत हैं।
स्टैण्डर्ड	10.0	7.0	0.5	16.0	13.0	(2) जिसमें- (क) यह भूरे रंग की होगी; (ख) इसका स्वाद तीखे मसालेदार होगा और इसकी खुशबु विशिष्ट स्वाद वाली होगी; (ग) यह अरुचिकर गंध, वासीपन और दुर्गंध से मुक्त होगी; (घ) यह फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीट विखंडनों, कीट प्रभाव और कृतक संदूषण से मुक्त होगी; (ङ) यह योजित रंजक पदार्थ, परिरक्षक अथवा बाह्य स्टार्च से मुक्त होगी; (च) यह मिट्टी के ढेलों से मुक्त होगी; (3) इसमें धात्विक संदूषकों के अवशेषी स्तरों, कीटनाशकों और नाशकजीव मारकों के अवशेषों, सूक्ष्मजीवों अपेक्षाओं, फसल

					<p>संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न विषाक्त पदार्थों से संबंधित निर्बंधनों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक(संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक(खाद्य उत्पाद और खाद्य मिश्रण) विनियम, 2011 तथा घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत शामिल अन्य विभिन्न विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।</p> <p>(4) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों की अवशेषी सीमाओं तथा कोडेक्स ऐलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा अधिकथित रूप में अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन होगा।</p> <p>(5) लौंग की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह निम्नलिखित के लिए समर्थ हो:-</p> <p>(क) परिवहन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सहन करने के लिए, तथा</p> <p>(ख) गंतव्य स्थान पर संतोषजनक स्थिति में पहुंचने के लिए।</p> <p>(6) इसे ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारित किया जाएगा और स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद दशा में रखा जाएगा लौंग चूर्ण को स्वास्थ्यप्रद दशा में संसाधित किया जाएगा।</p>
--	--	--	--	--	--

अनुसूची-35

(नियम 4 देखें)

काले जीरे के बीज (साबुत) (स्याह जीरा) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी							साधारण अभिलक्षण
	विशेष अभिलक्षण(मात्रा के अनुसार प्रतिशत)							
	कार्बनिक बाह्य पदार्थ (अधिकतम)	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ (अधिकतम)	नमी (अधिकतम)	शुष्क आधार पर कुल राख (अधिकतम)	शुष्क आधार पर अम्ल में अघुलनशील राख (अधिकतम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल की मात्रा वालयूम/मात्रा द्वारा प्रतिशत (न्यूनतम)	कीट द्वारा क्षतिग्रस्त पदार्थ (अधिकतम)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
स्पेशल	0.50	0.20	8.0	7.0	1.0	3.0	0.50	(1) काले जीरे का बीज (साबुत)(स्याह जीरा) मानव उपभोग के लिए <i>करूम कार्वी एल.</i> के परिपक्व फल के फलांशक से प्राप्त किया जाएगा। (2) इसमें- (क) यह शुष्क और परिपक्व होगा; (ख) यह स्वच्छ और साबुत
स्टैंडर्ड	0.75	0.25	10.0	8.0	1.5	2.5	1.0	

							<p>होगा;</p> <p>(ग) यह विशिष्ट खुशबुदार सुवास से युक्त तथा तीखी, मधुर और रुचिकर गंध वाला होगा;</p> <p>(घ) यह बासीपन, दुर्गंध और अरुचिकर सुवास से मुक्त होगा;</p> <p>(ङ) यह फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीट विखंडनों, कीटों के प्रभाव, कुंतक संदूषकों और रंजक पदार्थ से मुक्त होगा;</p> <p>(ड) यह स्त्रीलोडिना मशरूम के प्रभाव से मुक्त होगा;</p> <p>(3) इसमें धात्विक संदूषकों के अवशेषी स्तरों, कीटनाशकों और नाशकजीव मारकों के अवशेषों, सूक्ष्मजीवों अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न विषाक्त पदार्थों से संबंधित निर्बंधनों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक(संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक(खाद्य उत्पाद और खाद्य मिश्रण) विनियम, 2011 तथा घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत शामिल अन्य विभिन्न विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।</p> <p>(4) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों की अवशेषी सीमाओं तथा कोडेक्स ऐलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा अधिकथित रूप में अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन होगा।</p> <p>(5) काले जीरे(सावुत)(स्याह जीरा) की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह निम्नलिखित के लिए समर्थ हो:-</p> <p>(क) परिवहन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सहन करने के लिए, तथा</p> <p>(ख) गंतव्य स्थान पर संतोषजनक स्थिति में</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>पहुँचने के लिए।</p> <p>(6) इसे ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारित किया जाएगा और स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद दशा में रखा जाएगा।</p> <p>(7) यह ठोस और व्यापार करने की स्थिति में होगा।</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

स्पष्टीकरण:-

- (क) कार्बनिक बाह्य पदार्थ जिसमें भूसी, तना और पादप के अन्य वनस्पतिक पदार्थ सम्मिलित है।
- (ख) अकार्बनिक बाह्य पदार्थ जिसमें धूल कण, गर्द, पत्थर और मिट्टी के ढेले सम्मिलित हैं।
- (ग) कीट क्षतिग्रस्त पदार्थ जिसमें ऐसा बीज अभिप्रेत है जो कीटों द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह क्षतिग्रस्त हों।

टिप्पण: वाष्पशील तेल का अवधारण पीसने के तत्काल बाद किया जाएगा।

अनुसूची-36

(नियम 4 देखें)

काले जीरे के बीज(चूर्ण)(स्याह जीरा चूर्ण) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी				
	विशेष अभिलक्षण(मात्रा के अनुसार प्रतिशत)				साधारण अभिलक्षण
	नमी (अधिकतम)	शुष्क आधार पर कुल राख (अधिकतम)	शुष्क आधार पर अम्ल अघुलनशील राख (अधिकतम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल की मात्रा वाल्यूम/ मात्रा के अनुसार प्रतिशत (न्यूनतम)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्पेशल	10.0	7.0	1.0	2.5	<p>(1) काले जीरे का चूर्ण (स्याह काले जीरे का चूर्ण) "मानव उपभोग के लिए काले जीरे (करूम कार्बी एल.) के शुष्क परिपक्व बीज को पीस कर प्राप्त किया जाएगा। यह बीज के छोटे टुकड़ों में या महीन पीसे रूप में हो सकता है।</p> <p>(2) इसमें-</p> <p>(क) यह विशिष्ट खुशबुदार सुवास से युक्त और तीखी मधुर और मधुर रूचिकर गंध वाला होगा;</p> <p>(ख) यह अरूचिकर सुवास, विकृत स्वाद और दुर्गंध से मुक्त होगा;</p> <p>(ग) यह फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीट विखंडनों, कीट प्रभाव और यह कृतंक संदूषण से मुक्त होगा;</p> <p>(घ) यह योजित रंजक पदार्थ और अन्य हानिकारक पदार्थों से</p>
स्टैण्डर्ड	12.0	8.0	1.5	2.25	

					<p>मुक्त होगा;</p> <p>(3) इसमें धात्विक संदूषकों के अवशेषी स्तरों, कीटनाशकों और नाशकजीव मारकों के अवशेषों, सूक्ष्मजीवों अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न विषाक्त पदार्थों से संबंधित निर्बंधनों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक(संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक(खाद्य उत्पाद और खाद्य मिश्रण) विनियम, 2011 तथा घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत शामिल अन्य विभिन्न विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।</p> <p>(4) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों की अवशेषी सीमाओं तथा कोडेक्स ऐलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा अधिकथित रूप में अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन होगा।</p> <p>(5) काले जीरे के चूर्ण (स्याह जीरा चूर्ण) की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह निम्नलिखित के लिए समर्थ हो:-</p> <p>(क) परिवहन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सहन करने के लिए, तथा</p> <p>(ख) गंतव्य स्थान पर संतोषजनक स्थिति में पहुंचने के लिए।</p> <p>(6) इसे ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारित किया जाएगा, स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद दशा में रखा जाएगा।</p> <p>(7) यह ठोस और व्यापार करने की स्थिति में होगा।</p> <p>(8) यदि बीजों के छोटे टुकड़ों को पैक किया जाता है तो इन्हें मोटे कणों के रूप में चिह्नित किया जाएगा और यदि इन्हें महीन पिसे रूप में पैक किया जाता है तो इन्हें महीन पिसे रूप में चिह्नित किया जाएगा।</p>
--	--	--	--	--	--

अनुसूची-37

(नियम 4 देखें)

काले जीरे के बीज(साबुत) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी							
	विशेष अभिलक्षण (मात्रा के अनुसार प्रतिशत)							साधारण अभिलक्षण
	कार्बनिक बाह्य पदार्थ (अधिकतम)	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ (अधिकतम)	नमी (अधिकतम)	शुष्क आधार पर कुल राख (अधिकतम)	शुष्क आधार पर अम्ल अचुलनशील राख (अधिकतम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल की मात्रा वालयूम/मात्रा के अनुसार प्रतिशत (न्यूनतम)	कीट द्वारा क्षतिग्रस्त पदार्थ (अधिकतम)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
स्पेशल	0.50	0.10	8.0	8.0	1.5	2.0	0.50	(1) काले जीरे का बीज(साबुत) "मानव उपभोग के लिए करूम बुल्बोकास्टानम

स्टैण्डर्ड	0.75	0.25	10.0	9.0	2.0	1.5	1.0	<p>के शुष्क बीजों से प्राप्त किया जाएगा।</p> <p>(2) इसमें-</p> <p>(क) यह शुष्क और परिपक्व होगा;</p> <p>(ख) यह स्वच्छ और साबुत होगा;</p> <p>(ग) यह वासीपन, दुर्गंध और अरूचिकर स्वाद से मुक्त होगा;</p> <p>(घ) यह फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीट विखंडनों, कीट प्रभाव और कृतक संदूषण और रंजक पदार्थ से मुक्त होगा;</p> <p>(ङ) यह ठोस और व्यापार करने की स्थिति में होगा;</p> <p>(3) इसमें धात्विक संदूषकों के अवशेषी स्तरों, कीटनाशकों और नाशकजीव मारकों के अवशेषों, सूक्ष्मजीवों अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न विषाक्त पदार्थों से संबंधित निर्बंधनों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक(संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक(खाद्य उत्पाद और खाद्य मिश्रण) विनियम, 2011 तथा घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत शामिल अन्य विभिन्न विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।</p> <p>(4) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों की अवशेषी सीमाओं तथा कोडेक्स ऐलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा अधिकथित रूप में अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन होगा।</p> <p>(5) काले जीरे के बीज(साबुत) की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह निम्नलिखित के लिए समर्थ हो:-</p> <p>(क) परिवहन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सहन करने के लिए, तथा</p> <p>(ख) गंतव्य स्थान पर संतोषजनक स्थिति में पहुंचने के लिए।</p> <p>(6) इसे ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारित किया जाएगा, स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद दशा में रखा जाएगा।</p> <p>(7) यह ठोस और व्यापार करने की स्थिति में होगा।</p>
------------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	---

स्पष्टीकरण.-

- (क) कार्बनिक बाह्य पदार्थ जिसमें भूसी, तना और पादप के अन्य वनस्पतिक पदार्थ सम्मिलित हैं।
 (ख) अकार्बनिक बाह्य पदार्थ जिसमें धूल कण, गर्द, पत्थर और मिट्टी के ढेले सम्मिलित हैं।
 (ग) कीट क्षतिग्रस्त पदार्थ जिसमें ऐसा बीज अभिप्रेत है जो कीटों द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह क्षतिग्रस्त हों।

टिप्पण: वाष्पशील तेल का अवधारण पीसने के तत्काल बाद किया जाएगा।

अनुसूची-38

(नियम 4 देखें)

काले जीरे के बीज(चूर्ण) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी				
	विशेष अभिलक्षण(मात्रा के अनुसार प्रतिशत)				साधारण अभिलक्षण
	नमी (अधिकतम)	शुष्क आधार पर कुल राख (अधिकतम)	शुष्क आधार पर अम्ल अघुलनशील राख (अधिकतम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल की मात्रा वालयूम/मात्रा के अनुसार प्रतिशत (न्यूनतम)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्पेशल	8.0	7.0	1.0	3.0	(1) काले जीरे के बीज का चूर्ण मानव उपभोग के लिए "करूम बल्वोकास्टानम" पादप के शुष्क और परिपक्व बीज को पीस कर प्राप्त किया जाएगा;
स्टैंडर्ड	10.0	8.0	1.5	2.5	(2) इसमें- (क) यह विशिष्ट और खुशबुदार गंध होगा और यह तीखे, मधुर और रुचिकर खुशबू से युक्त होगा; (ख) यह बासीपन, दुर्गंध और अरुचिकर स्वाद से मुक्त होगा; (ग) यह फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीट विखंडनों, कीट प्रभाव और कृतक संदूषण से मुक्त होगा; (ड) यह याजित रंजक पदार्थ और अन्य हानिकारक पदार्थों से मुक्त होगा; (3) इसमें धात्विक संदूषकों के अवशेषी स्तरों, कीटनाशकों और नाशकजीव मारकों के अवशेषों, सूक्ष्मजीवों अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न विषाक्त पदार्थों से संबंधित निर्बंधनों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक(संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक(खाद्य उत्पाद और खाद्य मिश्रण) विनियम, 2011 तथा घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत शामिल अन्य विभिन्न विनियमों का अनुपालन किया जाएगा। (4) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों की अवशेषी सीमाओं तथा कोडेक्स ऐलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा अधिकथित रूप में अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की

					<p>अपेक्षाओं का अनुपालन होगा।</p> <p>(5) काले जीरे के बीज के चूर्ण की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह निम्नलिखित के लिए समर्थ हो:-</p> <p>(क) परिवहन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सहन करने के लिए, तथा</p> <p>(ख) गंतव्य स्थान पर संतोषजनक स्थिति में पहुंचने के लिए।</p> <p>(6) इसे ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारित किया जाएगा, स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद दशा में रखा जाएगा।</p> <p>(7) यह व्यापार करने की स्थिति में होगा।</p>
--	--	--	--	--	--

अनुसूची-39

(नियम-4 देखें)

अजवायन बीज(साबुत) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी					
	विशेष अभिलक्षण(मात्रा के अनुसार प्रतिशत)					साधारण अभिलक्षण
	कार्बनिक बाह्य पदार्थ (अधिकतम)	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ (अधिकतम)	कुम्हलाए हुए/क्षतिग्रस्त/कीटों द्वारा क्षतिग्रस्त/टूटे हुए बीज (अधिकतम)	नमी (अधिकतम)	शुष्कता आधार पर वाष्पशील तेल मि० ली०/100ग्राम (न्यूनतम)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्पेशल	1.0	0.10	1.0	8.0	4.0	(1) अजवायन के बीज(साबुत) टेकीस्पर्मम एम्मी एल.स्प्रेग के शुष्क परिपक्व फलों(बीजों) पर लागू होंगे। (2) इसमें — (क) यह ताजा होगा; (ख) यह उपज के विशिष्ट स्वाद और गंध से युक्त होगा; (ग) यह अरूचिकर सुवास, विकृत स्वाद, बासीपन, योजक रंजक पदार्थ से मुक्त होगा; (घ) यह कृतक संदूषकों से मुक्त होगा; (ङ) यह जीवित और मृत कीटों और कीट विखंडनों से मुक्त होगा; (च) यह खरपतवार बीजों सहित किसी प्रकार के बाह्य पदार्थ से मुक्त होगा; (छ) यह आकृति एवं आकार में एक समान होगा; (3) इसमें धात्विक संदूषकों के अवशेषी स्तरों,
स्टैंडर्ड	1.50	0.15	1.5	9.0	3.0	
जनरल	1.75	0.25	2.0	10.0	2.0	

						<p>कीटनाशकों और नाशकजीव मारकों के अवशेषों, सूक्ष्मजीवों अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न विषाक्त पदार्थों से संबंधित निर्वंधनों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक(संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक(खाद्य उत्पाद और खाद्य मिश्रण) विनियम, 2011 तथा घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत शामिल अन्य विभिन्न विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।</p> <p>(4) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों की अवशेषी सीमाओं तथा कोडेक्स ऐलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा अधिकथित रूप में अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन होगा।</p> <p>(5) अजवायन के बीज की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसमें वह निम्नलिखित के लिए समर्थ हों :-</p> <p>(क) परिवहन और व्यवस्थान की प्रक्रिया को सहज करने के लिए तथा</p> <p>(ख) गंतव्य स्थान पर संतोषजनक स्थिति में पहुंचने के लिए।</p> <p>(6) इसे ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारित किया जाएगा; और स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद दशा में रखा जाएगा।</p>
--	--	--	--	--	--	---

स्पष्टीकरण:

- (क) कार्बनिक बाह्य पदार्थ में चोकर, तना और भूसी सम्मिलित हैं।
- (ख) अकार्बनिक बाह्य पदार्थ जिसमें धूल, गर्द, पत्थर और मिट्टी के ढेले सम्मिलित हैं।
- (ग) कुम्हलाए हुए बीज : ऐसे बीज अभिप्रेत हैं जो अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं है।
- (घ) कीट द्वारा क्षतिग्रस्त बीज : ऐसे बीज जो घुणों द्वारा या अन्य कीटों द्वारा आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह छेदित या खाए हुए हैं।
- (ङ) क्षतिग्रस्त और टूटे हुए फल : ऐसे बीज जो कटे हुए, टूटे हुए, क्षतिग्रस्त और बदरंग हैं।

टिप्पणी: वाष्पशील तेल का अवधारण पीसने के तत्काल बाद किया जाएगा।

अनुसूची-40

(नियम 4 देखें)

अजवायन बीज (चूर्ण) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी					
	विशेष अभिलक्षण(मात्रा के अनुसार प्रतिशत)					साधारण अभिलक्षण
	कुल राख (अधिकतम)	अम्ल अघुलनशील राख (अधिकतम)	शुष्क आधार पर अवाष्पशील ईथर निष्कर्षण	शुष्क आधार पर अपरिष्कृत रेशे	नमी (अधिकतम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल की मात्रा मि०ली०/100 ग्राम

			की मात्रा (न्यूनतम)	(अधिकतम)		(न्यूनतम)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
स्पेशल	8.0	0.5	20.0	14.0	8.0	3.50	<p>(1) अजवायन बीज का चूर्ण मानव उपभोग के लिए शुष्क, स्वच्छ और परिपक्व अजवायन के बीज को पीस कर प्राप्त किया जाएगा;</p> <p>(2) इसमें-</p> <p>(क) अजवायन की विशिष्ट स्वाद और सुगंध होगी;</p> <p>(ख) यह अरूचिकर गंध, विकृत स्वाद और फफूंदी की महक से मुक्त होगी;</p> <p>(ग) यह योजित रंजक पदार्थ, परिरक्षक और बाह्य स्टार्च से मुक्त होगी;</p> <p>(घ) यह गर्द, फफूंदी और कीटों के प्रभाव से मुक्त होगी;</p> <p>(ङ) यह किसी तरह के बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी;</p> <p>(3) इसमें धात्विक संदूषकों के अवशेषी स्तरों, कीटनाशकों और नाशकजीव मारकों के अवशेषों, सूक्ष्मजीवों अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न विषाक्त पदार्थों से संबंधित निर्बंधनों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक(संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक(खाद्य उत्पाद और खाद्य मिश्रण) विनियम, 2011 तथा घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत शामिल अन्य विभिन्न विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।</p> <p>(4) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों की अवशेषी सीमाओं तथा कोडेक्स ऐलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा अधिकथित रूप में अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन होगा।</p> <p>(5) यह मोटे के कणों से मुक्त होगी और यह इतनी महीन पिसी होगी कि इसकी सारी मात्रा 500 माइक्रोन की छलनी से आसानी से गुजर सके।</p>
स्टैण्डर्ड	9.0	1.0	15.0	18.0	9.0	2.0	
जनरल	10.0	1.5	10.0	20.0	10.0	1.0	

							<p>(6) अजवायन के बीज के चूर्ण की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह निम्नलिखित के लिए समर्थ हो:-</p> <p>(क) परिवहन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सहन करने के लिए, तथा</p> <p>(ख) गंतव्य स्थान पर संतोषजनक स्थिति में पहुंचने के लिए।</p> <p>(7) इसे ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारित किया जाएगा और स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद दशा में रखा जाएगा।</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

[फा सं. 11015/2/स्पाइसिस/2014-एस टी डी]

प्रसान्त कुमार स्वाई, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड(i) में सा०का०नि० 711(अ), तारीख 24 सितम्बर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

G.S.R. 21(E).— Whereas the draft of the Spices Grading and Marking (Amendment) Rules, 2018, further to amend the Spices Grading and Marking Rules, 2012 and to supersede of the Cloves Grading and Marking Rules, 1996; the Caraway (Carum carvi Linn) and Black Caraway (Carum bulbocastanum Koch.) Grading and Marking Rules, 2000; and Ajowan Seeds (Whole and Powdered) Grading and Marking Rules,1997 was published, as required by sub-section (1) of Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act,1937 (1 of 1937) in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 598(E), dated the 29th June, 2018 inviting objections and suggestions from all likely to be affected thereby within forty-five days from the date on which copies of the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said notifications were made available to the public on 29th June 2018;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public in respect of the said rules;

Now therefore, in the exercise of the powers conferred by the section of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and in the supersession of the Cloves Grading and Marking Rules, 1996; the Caraway (Carum carvi Linn) and Black Caraway (Carum bulbocastanum Koch.) Grading and Marking Rules, 2000; and Ajowan Seeds (Whole and Powdered) Grading and Marking Rules,1997 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Spices Grading and Marking Rules, 2012, namely:-

- (1) These rules may be called the Spices Grading and Marking (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- In the Spices Grading and Marking Rules, 2012, (herein after referred to as the said rules), in rules 1 in sub rule (2), after clause (1), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(m) Cloves

(n) Caraway and Black Caraway

(o)” Ajowan;
- In rule 4, of the said rules, for the words and letters “Schedule II to XXXII” , the words and letters “Schedule II to XL” shall be substituted;
- In rule-5 of the said rules, for the words and letters “Schedule II to XXXII” the words and letters “Schedule II to XL” shall be substituted;
- After schedule XXXII, to the said rules, the following Schedules shall be inserted, namely:-

“Schedule- XXXIII

(See rule 4)

Grade designation and quality of Cloves (Laung) (Whole)

Grade Designation	Quality								General Characteristics
	Special Characteristics (per cent. by mass)								
	Organic extraneous matter (Maximum)	Inorganic extraneous matter (Maximum)	Tendrils, Mother Cloves (Maximum)	Khoker Cloves (Maximum)	Moisture (Maximum)	Volatile oil content on dry basis ml/100gm (Minimum)	Headless Cloves (Maximum)	Insect damaged Cloves (Maximum)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Special	0.50	0.05	1.0	1.0	9.0	18.0	1.0	Nil	1) Cloves Whole (Laung) means the dried unopened flower buds of clove tree.
Standard	0.75	0.10	1.5	1.5	10.0	17.5	1.5	1.0	
General	0.75	0.25	2.0	2.0	11.0	17.0	2.0	2.0	<p><i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merril et L. M. perry syn. [<i>Eugenia caryophyllus</i> (C.Sprengel)]</p> <p>Bullock and Harrison.</p> <p>(2) It shall -</p> <p>(a) be of reddish brown to blackish brown colour;</p> <p>(b) have a strong aromatic, spicy odour and characteristic flavour;</p> <p>(c) be free from off-flavour, rancid taste, mustiness, mould growth, living and dead insects, insect fragment, insect infestation and rodent contamination.</p>

									<p>(d) be free from added colouring matter and coating of mineral oil and any other harmful substances .</p> <p>(3) It shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and various regulations covered under Food Safety & Standards Act-2006 (34 of 2006) for domestic trade.</p> <p>(4) It shall comply with</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.</p> <p>(5) The condition of the Cloves whole shall be such so as to enable it -</p> <p>(a) to withstand transport and handling; and</p> <p>(b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination.</p> <p>(6) It shall be stored in a cool and dry place; maintained in a clean and hygienic condition.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Explanations:

- (a) Organic extraneous matter includes chaff, stems, straw, all the vegetative parts of cloves plants; other than cloves includes tendrils, peduncles, clove stems, mother cloves and exhausted cloves.
- (b) Inorganic extraneous matter such as dust, dirt, stones and lumps of earth.
- (c) Headless Cloves: A Clove consisting of only the receptacle and sepals and which has lost the domed shaped head.
- (d) Khoker Cloves: A Clove which has undergone fermentation as a result of incomplete drying as evidenced by its pale brown colour whitish mealy appearance and other wrinkled surface.
- (e) Mother Cloves: A fruit in the form of an ovoid brown berry surmounted by four incurved sepals.
- (f) Insect damaged Cloves: A Clove internally or partly bored or damaged by insect.

Note: Volatile Oil shall be determined immediately after grinding.

Schedule - XXXIV

(See rule 4)

Grade designation and quality of Cloves (Laung) (Powder)

Grade Designation	Quality					General Characteristics
	Special Characteristics (per cent. by mass)					
	Moisture (Maximum)	Total Ash on dry basis (Maximum)	Acid Insoluble Ash on dry basis (Maximum)	Volatile oil content on dry basis ml/100gm (Minimum)	Crude fibre (Maximum)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	8.0	6.0	0.3	17.0	11.0	<p>(1) Cloves (Laung) powder means the powder obtained by grinding the dried unopened flower buds of <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merril et L. M. perry syn. [<i>Eugenia caryophyllus</i> (C.Sprengel)] <u>Bullock and Harrison</u>.</p> <p>(2) It shall:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) be of a brown colour with a violet tinge; (b) have a strong spicy aromatic odour and characteristic flavour; (c) be free from off-flavour, rancid taste and mustiness; (d) be free from mould growth, living and dead insects, insect fragments, insect infestation and rodent contamination; (e) be free from added colouring matter, preservative or foreign starch; (f) be free from lumps . <p>(3) It shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and various regulations covered under Food Safety & Standards Act-2006 (34 of 2006) for domestic trade.</p> <p>(4) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.</p>
Standard	10.0	7.0	0.5	16.0	13.0	

						<p>(5) The condition of the Cloves powder shall be such so as to enable it -</p> <ol style="list-style-type: none"> a) to withstand transport and handling; and b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination. <p>(6) It shall be stored in a cool and dry place; maintained in a clean and hygienic condition. Clove powder shall be processed in hygienic condition.”</p>
--	--	--	--	--	--	--

Schedule – XXXV

(See rule 4)

Grade designation and quality of Caraway Seed (Whole) (Siah Jeera)

Grade Designation	Quality							General Characteristics
	Special Characteristics (per cent. by mass)							
	Organic extraneous matter (Maximum)	Inorganic extraneous matter (Maximum)	Moisture (Maximum)	Total ash on dry basis (Maximum)	Acid insoluble ash on dry basis (Maximum)	Volatile oil content on dry basis percent by vol/mass (Minimum)	Insect damaged matter (Maximum)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Special	0.50	0.20	8.0	7.0	1.0	3.0	0.50	<p>(1) Caraway seed (whole) (Siah Jeera) shall be obtained from the mericarps of nearly mature fruits of <i>Carum carvi L.</i> for human consumption.</p> <p>(2) It shall –</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) be dried and mature; (b) be clean and wholesome; (c) have characteristic aromatic flavour with sharp, sweet and pleasant aroma; (d) be free from rancid taste, musty odour and off flavour; (e) be free from mould growth, living
Standard	0.75	0.25	10.0	8.0	1.5	2.5	1.0	

								<p>and dead insects, insect fragments, insect infestation, rodent contamination and colouring matter;</p> <p>(f) be free from attack by Scerlotinia mushrooms.</p> <p>(3) It shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and various regulations covered under Food Safety & Standards Act-2006 (34 of 2006) for domestic trade.</p> <p>(4) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								Commission, or importing countries requirement for exports.
								(5) The condition of the Caraway seed (whole) (Siah Jeera) shall be such so as to enable it - (a) to withstand transport and handling; and (b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination
								(6) It shall be stored in cool and dry place; maintained in a clean and hygienic condition.
								(7) It shall be in sound and in merchantable condition.

Explanations:

- (a) Organic extraneous matter includes chaff, stems, straw and other vegetable matter of plant.
 (b) Inorganic extraneous matter includes dust, dirt, stones and lumps of earth.
 (c) Insect damaged matter means seed that are partially or wholly bored or damaged by insects.

Note: Volatile Oil shall be determined immediately after grinding.

Schedule – XXXVI

(See Rule 4)

Grade designation and quality of Caraway Seed (Powder) (Siah Jeera Powder)

Grade Designation	Quality			
	Special Characteristics (per cent. by mass)			General Characteristics
	Moisture (Maximum)	Total ash on dry basis (Maximum)	Acid insoluble ash on dry basis	

			(Maximum)	(Minimum)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Special	10.0	7.0	1.0	2.5	<p>(1) Caraway seed powder (Siah Jeera Powder) shall be obtained by grinding the dried mature fruit of the plant "<i>Carum carvi, L</i>" for human consumption. It may be in the form of small pieces of seeds or in finely ground form.</p> <p>(2) It shall :-</p> <p>(a) have characteristic and aromatic flavour with sharp, sweet and pleasant aroma;</p> <p>(b) be free from rancidity, off-flavour and musty odour;</p> <p>(c) be free from mould growth, living and dead insects fragments, insect infestation ;</p> <p>(d) rodent contamination; and</p> <p>(e) be free from added colouring matter and other harmful substances.</p> <p>(3) It shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and various regulations covered under Food Safety & Standards Act-2006 (34 of 2006) for domestic trade.</p> <p>(4) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.</p> <p>(5) The condition of the Caraway seed powder (Siah Jeera powder) shall be such so as to enable it -</p> <p>(a) to withstand transport and handling; and</p> <p>(b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination.</p> <p>(6) It shall be stored in cool and dry place; maintained in a clean and hygienic condition.</p> <p>(7) It shall be in merchantable condition.</p> <p>(8) If small pieces of seeds are packed, these shall be marked as coarse and if packed in finally ground form shall be marked as finally ground.</p>
Standard	12.0	8.0	1.5	2.25	

Schedule XXXVII

(See rule 4)

Grade designation and quality of Black Caraway Seed (Whole)

Grade Designation	Quality							General Characteristics
	Special Characteristics (per cent. by mass)							
	Organic extraneous matter (Maximum)	Inorganic extraneous matter (Maximum)	Moisture (Maximum)	Total ash on dry basis (Maximum)	Acid insoluble ash on dry basis (Maximum)	Volatile oil content on dry basis percent by vol/mass (Minimum)	Insect damaged matter (Maximum)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Special	0.50	0.10	8.0	8.0	1.5	2.0	0.50	<p>(1) Black Caraway seed (whole) shall be obtained from the dried seeds of <i>Carum bulbocastanum</i> for human consumption.</p> <p>(2) It shall –</p> <p>(a) be dried and mature;</p> <p>(b) be clean and wholesome;</p> <p>(c) be free from rancid taste, musty odour and off flavour;</p> <p>(d) be free from mould growth, living and dead insects, insect fragments, insect infestation, rodent contamination and colouring matter;</p> <p>(e) be in sound and in merchantable condition.</p> <p>(3) It shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and</p>
Standard	0.75	0.25	10.0	9.0	2.0	1.5	1.0	

								<p>Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and various regulations covered under Food Safety & Standards Act-2006 (34 of 2006) for domestic trade.</p> <p>(4)It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.</p> <p>(5)The condition of the Black Caraway seed (whole) shall be such so as to enable it - (a) to withstand transport and handling; and (b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination.</p> <p>(6)It shall be stored in cool and dry place; maintained in a clean and hygienic condition.</p> <p>(7)It shall be in sound and in merchantable condition.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Explanations:

(a) Organic extraneous matter includes chaff, stems and straw.

(b) Inorganic extraneous matter includes dust, dirt, stones and lumps of earth.

(c) Insect damaged matter: Seed that are partially or wholly bored or eaten away by weevil or other insects.

Note: Volatile Oil shall be determined immediately after grinding.

Schedule – XXXVIII

(See Rule 4)

Grade designation and quality of Black Caraway Seed (Powder)

Grade Designation	Quality				General Characteristics
	Special Characteristics (per cent. by mass)				
	Moisture (Maximum)	Total ash on dry basis (Maximum)	Acid insoluble ash on dry basis (Maximum)	Volatile oil content on dry basis percent by vol /mass (Minimum)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Special	8.0	7.0	1.0	3.0	<p>(1) Black Caraway seed powder shall be obtained by grinding the dried mature fruit of the plant “<i>Carum bulbocastanum</i>” for human consumption</p> <p>(2) It shall :-</p> <p>(a) have characteristic and aromatic flavour with sharp, sweet and pleasant aroma ;</p> <p>(b) be free from rancidity, off-flavour and musty odour ;</p> <p>(c) be free from mould growth, living and dead insects, insect fragments, insect infestation and rodent contamination;</p> <p>(d) be free from added colouring matter and other harmful substances.</p> <p>(3) It shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and various regulations covered under Food Safety & Standards Act-2006 (34 of 2006) for domestic trade.</p> <p>(4) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.</p> <p>(5) The condition of the Black Caraway seed powder shall be such so as to enable it -</p> <p>(a) to withstand transport and handling; and</p> <p>(b) to arrive in satisfactory condition at</p>
Standard	10.0	8.0	1.5	2.5	

					<p>the place of destination.</p> <p>(6) It shall be stored in cool and dry place maintained in a clean and hygienic condition.</p> <p>(7) It shall be in merchantable condition.</p>
--	--	--	--	--	--

Schedule XXXIX

(See rule 4)

Grade designation and quality of Ajowan Seed (Whole)

Grade Designation	Quality					General Characteristics
	Special Characteristics (per cent. by mass)					
	Organic extraneous matter (Maximum)	Inorganic extraneous matter (Maximum)	Shriveled/damaged/ insect damaged/ broken seeds (Maximum)	Moisture (Maximum)	Volatile oil ml/100gm on dry basis (Minimum)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	1.0	0.10	1.0	8.0	4.0	<p>(1) Ajowan seeds (whole) shall apply to the dried ripe fruits (seeds) of <i>Trachyspermum ammi</i>. L. Sprague.</p> <p>(2) It shall –</p> <p>(a) be fresh;</p> <p>(b) have characteristic taste and smell of the produce;</p> <p>(c) be free from off-flavour, rancid taste, mustiness, mould growth and added colouring matter;</p> <p>(d) be free from rodent contaminants ;</p> <p>(e) be free from living and dead insects, and insect fragments;</p> <p>(f) be free from any foreign matter including weed seeds;</p> <p>(g) have uniform size and shapes.</p> <p>(3) It shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and various regulations covered under Food Safety & Standards Act-2006 (34 of 2006) for</p>
Standard	1.50	0.15	1.5	9.0	3.0	
General	1.75	0.25	2.0	10.0	2.0	

						<p>domestic trade.</p> <p>(4) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.</p> <p>(5) The condition of the Ajowain seed shall be such so as to enable it -</p> <p>(a) to withstand transport and handling; and</p> <p>(b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination.</p> <p>(6) It shall be stored in a cool and dry place; maintained in a clean and hygienic condition.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Explanations:

- (a) Organic extraneous matter includes chaff, stems and straw.
- (b) Inorganic extraneous matter includes dust, dirt, stones and lumps of earth.
- (c) Shrivelled seeds: that have not properly developed.
- (d) Insect damaged seeds: Seeds that are partially or wholly bored or eaten away by weevil or other insects.
- (e) Damaged and broken seeds: Seeds that are cut, broken, damaged and discoloured.

Note: Volatile Oil shall be determined immediately after grinding.

Schedule – XL*(See rule 4)***Grade designation and quality of Ajowan Seed (Powder)**

Grade Designation	Quality						General Characteristics
	Special Characteristics (per cent by mass)						
	Total ash (Maximum)	Acid insoluble ash (Maximum)	Non-volatile ether extract on dry basis (Minimum)	Crude fibre on dry basis (Maximum)	Moisture (Maximum)	Volatile oil content on dry basis ml/100gm (Minimum)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	8.0	0.5	20.0	14.0	8.0	3.50	(1) Ajowan seed powder shall be obtained by grinding the dry, clean and ripe Ajowain seed for human consumption. (2) It shall - (a) have characteristic taste and aroma of the produce; (b) be free from off-flavour, rancid taste and musty odour; (c) be free from added colouring matter, preservative and foreign starch; (d) be free from dirt, mould growth and insect infestation;
Standard	9.0	1.0	15.0	18.0	9.0	2.0	
General	10.0	1.5	10.0	20.0	10.0	1.0	

							<p>(e) be free from any foreign matter.</p> <p>(3) It shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and various regulations covered under Food Safety & Standards Act-2006 (34 of 2006) for domestic trade.</p> <p>(4) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.</p> <p>(5) It shall be free from coarse particles and ground to such a fineness that the whole of it passes through 500 Micron sieve.</p> <p>(6) The condition of Ajowan seed powder shall be such so as to enable it –</p> <p>(a) to withstand transport and handling; and</p> <p>(b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination.</p> <p>(7) It shall be stored in a cool and dry place; maintained in a clean and hygienic condition.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

[F. No. 11015/2/spices/2014-std]

Prasanta Kumar Swain, Jt. Secy. (Marketing)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 711 (E), dated the 24th September, 2012.